प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, मध्य प्रदेश, का कार्यालय

ग्वालियर-474002

क्र.रा.भा.अ./स-3/दर्पण/87वां अंक/रचना आमंत्रण/19 दिनांकः 07.12.2023

सूचना

विषयः वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'दर्पण' के 87वें अंक का डिजिटल रूप में प्रकाशन।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, का कार्यालय, ग्वालियर, की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'दर्पण' का डिजिटल रूप में प्रकाशन किया जाना है। पत्रिका के 87वें अंक में प्रकाशनार्थ रचनाएं आमंत्रित हैं। रचनाकारों से अनुरोध है कि रचनाएं प्रस्तुत करते समय कृपया वे निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

1. रचनाकार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, का कार्यालय, ग्वालियर (**QPR Code ofmp 2357**) में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक होना चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, का कार्यालय, भोपाल (**QPR Code ofmp 3131**) में वर्तमान में कार्यरत कार्मिक जिसमें संभागीय लेखापाल संवर्ग के कार्मिक भी सम्मिलित हैं, अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. रचना डबल स्पेस में **A-4** साइज में तथा कागज के केवल एक ओर टंकित होनी चाहिए।
3. रचना का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में रचना प्रस्तुत की जा सकती है।
4. रचना शासन अथवा विभाग की नीतियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
5. रचना में व्यक्तिगत आक्षेप आदि नहीं होना चाहिए।
6. राजभाषा हिंदी तथा देश की एकता एवं अखण्डता बनाए रखने के संदर्भ में रचनाओं का विशेष स्वागत है।
7. विभाग अथवा कार्यालय की कार्य-पद्धति में गुणात्मक सुधार हेतु गवेषणात्मक व विश्लेषणात्मक लेखों का भी स्वागत है।

8. हिंदी भाषा-भाषी कार्मिकों के साथ-साथ हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करें।
9. एक रचनाकार पृथक विधाओं में, एक से अधिक रचनाएँ प्रस्तुत कर सकता हैं।
10. रचनाकार रचना के साथ अपना नाम, पदनाम, स्थाई क्रमांक/यूआईडी नं. एवं अनुभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
11. रचनाकार रचना के मौलिक, अप्रकाशित व अप्रसारित होने के संबंध में स्वयं के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
12. रचनाकार अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो भी रचना के साथ संलग्न करें।
13. रचनाकार रचना की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, रचनाएँ वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रकाशित रचनाओं के संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. प्रकाशित रचनाओं के लिए रचनाकारों को राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) के पत्र सं.09/रा.भा.अ./38-2010-I दिनांक 05.01.2023 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु अनुरोध है कि कृपया वे अपना बैंक खाता क्रमांक (**Salary Account**), बैंक का नाम, बैंक की शाखा का **IFSC** कोड तथा खाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नं. अनिवार्य रूप से अंकित करें।

क्रम सं.	रचना का स्वरूप	दरें
1.	(i) विभागीय/साहित्यिक/तकनीकी शोधपूर्ण लेख एवं कहानी प्रति मुद्रित पृष्ठ	800/-रूपये
	(ii) अधिकतम सीमा(तीन पृष्ठ से अधिक)	3000/रूपये
2.	(i) कविता, गजल प्रति मुद्रित पृष्ठ	600/-रूपये
	(ii) अधिकतम सीमा	1200/-रूपये

15. बिंदु क्रमांक 14 के आलोक में रचनाकारों से अनुरोध है कि वे अपनी रचनाएँ यथासाध्य सुगठित व संक्षिप्त रखने का प्रयास करें ताकि उन्हें मानदेय प्राप्त करने में अनावश्यक

अड़चनों का सामना न करना पड़े। यह इसलिए भी आवश्यक है चूँकि पत्रिका के पृष्ठों का आकार व संख्या सीमित है।

16. रचना प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 26.12.2023** है।

17. इस विषय में संपादक मंडल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. उप महालेखाकार (प्रशासन) व राजभाषा अधिकारी जो कि प्रकाशन मंडल के अध्यक्ष हैं, के पास प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

(प्राधिकारः प्रधान महालेखाकार के दिनांक 06.12.2023 के आदेश)

हस्ता/-
उप महालेखाकार (प्रशासन)
व राजभाषा अधिकारी

क्र.रा.भा.अ./स-3/दर्पण/87वां अंक/रचना आमंत्रण/
दिनांकः 07.12.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थः
महानिदेशक (राजभाषा), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

हस्ता/-
उप महालेखाकार (प्रशासन)
व राजभाषा अधिकारी

क्र.रा.भा.अ./स-3/दर्पण/87वां अंक/रचना आमंत्रण/ 421 दिनांकः 07.12.2023

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन, 'बी' स्कंध, चतुर्थ तल, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन व राजभाषा अधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया इस परिपत्र को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, का कार्यालय, भोपाल (QPR Code ofmp 3131) में वर्तमान में कार्यरत कार्मिको, जिसमें **उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) व भोपाल कार्यालय के कार्यालय प्रधान व संभागीय लेखापाल संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी**, के अधीन वर्तमान में कार्यरत संभागीय लेखापाल संवर्ग के कार्मिक भी सम्मिलित हैं, के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
4. सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर
5. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार
6. उप महालेखाकार (प्रशासन) व राजभाषा अधिकारी का सचिवालय
7. उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी) का सचिवालय
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/कल्याण
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन-1
10. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वी.एल.सी- कृपया कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
12. सभी शाखा अधिकारी सुश्री/श्री----------अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को इस संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल
14. सूचना-पटल

विश्वरूप

हिंदी अधिकारी

व प्रधान संपादक